संख्या-6/2019/1787/तीस-4-2018-02(सा0)/18

प्रेषक,

आशुतोष चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 07 मार्च, 2019

विषयः निष्प्रयोज्य घोषित वाहनो के सापेक्ष नये वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र 46/2018/1145/तीस-4-2018-02(सा0)/2018, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिवहन विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित कुल 09 वाहनों के सापेक्ष कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त प्रकरण में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 13.11.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि मे0 मारूति सुजुकी कम्पनी की मॉडल सियाज डेल्टा, पेट्रोल जो जेम प्राइस (जेम प्रोर्टल) पर समस्त करों सहित मूल्य 0 7,29,401.42 पर उपलब्ध थी, जो वर्तमान में प्राप्त प्रोफार्मा इनवाइस के अनुसार मे0 मारूति सुजुकी कम्पनी की मॉडल सियाज डेल्टा, पेट्रोल जो जेम प्राइस (जेम प्रोर्टल) पर समस्त करों सहित मूल्य 0 7,82,279.30 पर उपलब्ध है। अतएव उक्त वाहन की प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वाहन के वास्तविक मूल्य के मध्य के अन्तर की धनराशि रू0 52,877.00(रूपये बावन हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाये।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश से प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव पर संदर्भ विचारोपरान्त उक्त वाहन सियाज डेल्टा, पेट्रोल के जेम पोर्टल मूल्य रू0 7,29,401.42 तथा वर्तमान मूल्य 0 7,82,279.30 के मध्य अन्तर की धनराशि रू0 52,877.00(रूपये बावन हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-46/2018/1145/तीस-4-2018-02(सा0)/2018, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-43 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखा शीर्षक-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-423/दस-2018, दिनांक 25 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-6/2019/1787(1)/तीस-4-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।